

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पं० न० - 506 / 2025

निवेदन :-

1. औमप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. प्रियंका पत्नी अनील कुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. विद्यादेवी पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
4. अनिल कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
5. कलावती पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
6. कविता पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
7. अमित पुत्र ताराचंद जाति सुथार निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
8. पंकज पुत्र ताराचंद जाति सुथार निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी एमके गौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

क. वादी औमप्रकाश को प्राप्त आराजी :- चकनं० 6 केएचआर के खाता सं० 126 / 128 में अंकित कुल 0.785 है० में से अनिल कुमार के 1 / 24 हिस्सा, कलावती देवी का 1 / 24 हिस्सा, कविता का 1 / 24 हिस्सा, प्रियंका के 1/6 हिस्सा व विद्यादेवी के 3/8 हिस्सा की आराजी व चकनं० 6 केएचआर के प० न० 225 / 215 मु० 48 किलानं० 3/1, 4/1, 5/1, 8/4

ख. प्रतिवादी सं० 7 व 8, अमित व पंकज को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी :- चकनं० 6 केएचआर के प० न० 225 / 215 मु० 48 किला नं० 7/1, 8/1

ग. प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल को प्राप्त आराजी :- चकनं० 6 केएचआर के प० न० 231/212 मु० 17 किला नं० 11/2 में से उतर से दक्षिण 4 फुट व पूर्व से पश्चिम ' 165 फुट यानि .006 है०

घ. प्रतिवादीया सं० 3 विद्यादेवी को प्राप्त आराजी :- चकनं० 6 केएचआर के खातासं० 56/58 में अंकित कुल 1.012 है० में से अनिल कुमार, कविता, कलावती देवी प्रत्येक के 1/32 हिस्सा की आराजी व प्रियंका के 1/8 हिस्सा की आराजी, औमप्रकाश के हिस्सा की आराजी

ड. प्रतिवादीया सं० 5 कलावती देवी को प्राप्त भूमि: - चक नं० 9 केएचआर के खाता सं० 138/132 में अंकित अनिल के 1 / 24 हिस्सा व 32 / 253 हिस्सा, औमप्रकाश के 1/3 हिस्सा, कविता के 1/24 हिस्सा, देवीलाल के 1/6 हिस्सा, प्रियंका के 1/6 हिस्सा व विद्यादेवी के 4972/6072 हिस्सा की आराजी ।

च. चकनं० 6 केएचआर के प० न० 225 / 215 मु० 48 किलानं० 13 में .006 है० दक्षिणी पूर्वी कोर्नर रास्ता स्वीकृत कर गै० मु० रास्ता का अंकन राजस्व रिकोर्ड में किया जावे। व इसी अनुसार चकनं० 6 केएचआर के खाता सं० 56 / 58 में से वादी व प्रतिवादी सं० 2,

4 व 6 का नाम कलमजन, चक नं० 6 केएचआर के खाता सं० 126 / 128 में से प्रतिवादी सं० 2 व 4 का नाम कलमजन, चक० 9 केएचआर के खाता सं० 138 / 132 में से वादी सं० 1 व 6 का नाम कलमजन, चक नं० 6 केएचआर के खाता सं० 1 व 4 व 6 का नाम कलमजन, चक नं० 6 केएचआर के खाता सं०




28

अधिकारी  
महायुक्त

14/13 में से वादी का हिस्सा कम चकन 0 6 केएचआर के खाता सं 0 57/56 में से प्रतिवादी सं 0 1 देवीलाल का हिस्सा कम किया जाकर यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 30/01/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



  
(राजस्व अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़